

प्रधान कार्यालय : 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली—110 607 Head Office : 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi-110 607

असाधारण आम बैठक EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

दिनांकः मंगलवार, 12 सितम्बर, 2017 समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे DATE: TUESDAY, THE 12TH SEPTEMBER, 2017 TIME : 10.00 A.M.

स्थान : पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम, केन्द्रीय स्टॉफ कॉलेज 8, अंडरहिल रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली–110054 Venue : PUNJAB NATIONAL BANK AUDITORIUM CENTRAL STAFF COLLEGE, 8, UNDERHILL ROAD, CIVIL LINES, DELHI-110 054

विषय वस्तु CONTENTS

पृष्ठ सं.

	Page No.
सूचना	
NOTICE	
व्याख्यात्मक कथन	
EXPLANATORY STATEMENT	
प्रॉक्सी फार्म	
PROXY FORM	
उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास	
ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS	11

महत्वपूर्ण तिथियाँ एवं कार्यक्रम IMPORTANT CALENDER OR EVENTS

असाधारण आम बैठक के लिए शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित	मंगलवार, 05 सितम्बर, 2017
करने के लिए कटऑफ तिथि	
Cut-off date for ascertaining the entitlement of shareholders	Tuesday, 5th September, 2017
for attending the EGM	
ई—वोटिंग की अवधि	09.09.2017 (प्रातः 9.00) से 11.09.2017 (सायं 5.00)
E-voting period	09.09.2017 (9 a.m.) to 11.09.2017 (5 p.m.)
प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति के लिए प्रॉक्सी फार्म एवं संकल्प	बृहस्पतिवार, 07 सितम्बर, 2017
जमा करने की अंतिम तिथि	
Last date for receipt of Proxy Forms and Resolutions	Thursday, 07th September, 2017
appointing Authorized Representatives	

प्रधान कार्यालय : 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110 607 (ई मेल– hosd@pnb.co.in)

सूचना

पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन 2000 के विनियम 57 के अनुसार एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक मंगलवार, दिनांक 12 सितंबर, 2017 को प्रात: 10.00 बजे पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम, केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज, 8, अंडरहिल रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054 में संपन्न होगी जिसमें निम्नलिखित विशेष मदों पर विचार-विमर्श किया जायेगा :-

मद 1

बैंक की इक्विटी पूँजी को बढ़ाना

निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और उचित समझे जाने पर संशोधन सहित या संशोधन के बिना, विशेष संकल्प के रुप में पारित करना:

'संकल्प किया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में 'योजना' कहा जायेगा) और पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 2000 (जिसे इसके बाद 'विनियमन' कहा जाएगा) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में 'अधिनियम' कहा जायेगा) के प्रावधानों के अनुसार तथा यदि आवश्यक हुआ तो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार, भारतीय प्रतिष्ट्रीनियम कहा जायेगा) के प्रावधानों के अनुसार तथा यदि आवश्यक हुआ तो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेवी) और/अथवा इस सम्बन्ध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और स्वीकृति के अधीन तथा निदेशक मंडल द्वारा व्यक्त की गई सहमति के अनुसार इस सम्बन्ध में किन्हीं शर्तों, निबन्धनों और संशोधनों के अधीन ऐसे अनुमोदन देने के लिए एवं सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियमन), सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियमन), सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियमन), सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियमन), सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियमन), यथा संशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा), विदेशी मुद्रा प्रबंधन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सत्रार द्वारा साय-समय पर जारी समेकित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति एवं भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सभी संबध्द प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य नियम, प्र000, यथा संशोधित, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, धार स्रकल इस्ति के हक्तिदेशी सुदा स्वर्क तथा अन्य सभी संबध्द प्राधिकरणों द्वारा सत्रार द्वारा सत्पर द्वारा स्वर्य त्वार द्वार के के इत्या प्रत्य प्रिक्त विदेशी प्रत्य कि की द्वारा प्रति क्र व्य राधिकरणों द्वारा स्वर्क को इस्तातरण या जारी करना) विनियम, 2000, यथा संशोधित, औद्योगिक नीति एवं संकर्व विभाग, वाणिज्य एवं उत्त स्वर्वा द्वारा प्रत्क त्वार द्वार द्वार्य द्वार्य कर्य प्रविक्त द्वार्य स्वर्य प्रांक के द्वार्य

- क. एक या अधिक ट्रेंच, जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट (क्यूआईपी)/ राइट इश्यू/ ईएसओपी और/या किसी अन्य मोड (डों) या उसके संयोजन सहित पब्लिक इश्यू (अर्थात फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर) द्वारा ऐसे प्रीमियम जैसा भारत सरकार एवं आरबीआई द्वारा अनुमोदित किया गया हो, जिनकी राशि या ऐसी अन्य राशि को निर्धारित किया गया हो, का समावेश कर रू. 2/- (केवल दो रुपये) अंकित मूल्य के (''इक्विटी शेयर्स'') लेकिन 3000 करोड़ रुपए (केवल तीन हजार करोड़ रूपए) से अधिक नहीं, की ऐसी संख्या को सृजित, ऑफर, जारी तथा आवंटित करेंगे जो इन शर्तों के अधीन होगा कि बैंक के इक्विटी पूँजी में भारत सरकार की शेयरधारिता किसी भी कीमत पर 52% से कम न हो।
- ख. क्वांटम और मोड, ट्रेंच की संख्या, मूल्य, छूट/ प्रीमियम, कर्मचारियों के लिए आरक्षण, मौजूदा शेयरधारकों और या बोर्ड द्वारा यथा



Head Office : 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi – 110 607 (email – hosd@pnb.co.in)

<u>NOTICE</u>

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT PURSUANT TO REGULATION 57 OF PUNJAB NATIONAL BANK (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS, 2000, EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF PUNJAB NATIONAL BANK WILL BE HELD ON TUESDAY, THE 12th SEPTEMBER, 2017, AT 10.00 A.M. AT PUNJAB NATIONAL BANK AUDITORIUM, CENTRAL STAFF COLLEGE, 8, UNDERHILL ROAD, CIVIL LINES, DELHI-110054 TO TRANSACT THE FOLLOWING BUSINESS:

<u>ITEM 1</u>

Raising of Equity Capital of the Bank

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following Resolution (s) as Special Resolution (s):

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the 'Act') read with the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the 'Scheme') and Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as the 'Regulations') and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed, stipulated or imposed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations) and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR Regulations), the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), as amended, including the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, as amended, the Consolidated Foreign Direct Investment Policy, issued from time to time by the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India and other Rules, Regulations, Guidelines, Circulars, Notifications regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Regulations entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called the "Board" which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to :

- a) create, offer, issue and allot such number of Equity Shares of face value of Rs. 2/- (Rupees Two Only) ("The Equity Shares") in aggregate not exceeding Rs. 3000 crore (Rupees Three Thousand Crore Only) inclusive of such premium as may be fixed on such amount or such other amount as may be approved by GOI & RBI, by way of Public Issue (i.e. Follow on Public Offer) including Qualified Institutional Placement(s) (QIPs) /Rights Issue/ ESOP and/or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as may be decided by the Board, in one or more tranches, subject to the condition that the GOI shareholding in equity capital of the Bank does not fall below 52 % at any point of time.
- b) to decide the quantum & mode(s), number of tranches, prices, discount/premium, reservations to employees, existing shareholders and or any other persons/class of investor as may be decided by the

निर्धारित और सेबी विनियमों के अंतर्गत कोई अन्य निवेशक का स्तर तथा ऐसे इश्यू का समय, भारत सरकार और आरबीआई अनुमोदन के लागू नियमों और विनियमों के अधीन स्वविवेक पर निर्णय लिया जाएगा ।

''यह भी संकल्प् किया जाता है भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अनुमोदित तथा पीएनबी (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000, के अधीन एफएपीओ/क्यूआईपी/राइट इश्यू/ईएसओपी या किसी अन्य तरीके के माध्यम से ऑफर किए गए और आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी मामलों में बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सम–मात्रा रैंक दिया जाएगा और ये वैधानिक दिशानिर्देशों जो ऐसे घोषणापत्र के समय लागू हों, के अनुसार घोषित लाभांश के लिए पात्र होंगे।

''यह भी संकल्प किया जाता है कि एफपीओ/क्यूआईपी/ राइट इश्यू/ईएसओपी या किसी अन्य तरीके से पेशकश और आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को, जैसा कि भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अनुमोदित, राइट्स इश्यू के अलावा, डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होंगे, जहां शेयर को भौतिक और डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म दोनों में जारी किए जा सकते हैं और एनआरआई, एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को जारी और आवंटित इक्विटी शेयर, आरबीआई और/या सेबी के दिशानिर्देश/नियम और विनियमों के अधीन होंगे।

''यह भी संकल्प किया जाता है कि क्यूआईपी के मामले में, इस उद्देश्य के लिए गठित बोर्ड या बोर्ड की समिति, अग्रणी प्रबंधकों और/या अंडरराइटर्स और/या अन्य सलाहकार जिनके पास सेबी (आईसीडीआर) नियमों 2009 के तहत मूल्य निर्धारण फार्मूले के अनुसार निर्धारित कीमत पर 5%(पांच प्रतिशत) से अधिक की नहीं, की छूट पर केवल योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) को इक्विटी शेयरों का आबंटन करने का प्राधिकार है, के साथ परामर्श करेगा और इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक तिथि समय-समय पर संशोधन के अनुसार सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार होगी।

''यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम, आबंटन तथा निदेशक मंडल की सहमति के अनुसार शेयरों के सूचीबद्ध करने के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वींकृति प्रदान करते समय निदेशक मंडल को यह अधिकार होगा कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/ जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित अथवा लाये गये प्रस्तावों के संशोधनों को स्वीकार करेगा।

''यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि ऐसे सभी कार्य, क्रियाएं, मामले और विचार करें जो अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और अपेक्षित समझें जिनसे किसी प्रश्न, समस्या अथवा ऐसे संदेह का निराकरण हो सके जो इक्विटी शेयरों के निर्गम से संबंधित हो और साथ ही ऐसे सभी कार्य आदि करें, आवश्यक होने वाले सभी दस्तांवेजों और विलेखों को अंतिम रूप दें और निष्पादित करें जो उनके पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे जाने पर अपेक्षित अथवा आवश्यक, उचित एवं वांछित हो और ऐसा करने के लिए उन्हें शेयरधारकों की किसी अन्य सहमति की जरूरत नहीं होगी अथवा अंतत: यह प्राधिकार दें कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा प्रकट रूप से उसके संबंध में अपना अनुमोदन दे दिया है।

''यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को एतद्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि इस संकल्प में प्रदत्त सभी अथवा कोई एक शक्ति बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशकों अथवा अन्य अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करें जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए वह उचित समझें।

> निदेशक मंडल के आदेश से कृते पंजाब नैशनल बैंक

भेल मेहता.

(सुनील मेहता) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 02.08.2017 Board and as provided under SEBI Regulations and the timing of such issue(s), at its discretion subject to the applicable Rules and Regulations and GoI & RBI approval.

RESOLVED FURTHER THAT the equity shares to be offered and allotted by way of FPO/QIP/Rights Issue/ ESOP or any other mode, as approved by GOI, RBI and subject to the PNB (Shares and Meetings) Regulations, 2000, as amended, shall rank pari-passu with the existing equity shares of the Bank in all respects and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

RESOLVED FURTHER THAT the equity shares be offered and allotted by way of FPO/QIP/Rights Issue/ESOP or any other mode, as approved by GOI & RBI shall be in dematerialized form, except for Rights issue where the shares may be issued in both the physical and dematerialized form, and the equity shares so issued and allotted to NRIs, FII and/or other eligible foreign investors shall be subject to the Guidelines/Rules & Regulations issued by RBI and/or SEBI.

RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP, the Board or the Committee of the Board constituted for the purpose shall in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors have the authority to make the allotment of equity shares only to Qualified Institutional Buyers (QIBs) at a discount of not more than 5% (five per cent) on the price determined in accordance with the pricing formula under SEBI (ICDR) Regulations 2009 and the relevant date for the purpose shall be in accordance with the provisions of SEBI (ICDR) Regulations 2009, as amended from time to time.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/ Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions for the issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT to take all such actions and to do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable, without requiring any further approval of the members to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution(s)."

By order of the Board of Directors For Punjab National Bank

fort.

(Sunil Mehta) Managing Director & CEO

Place: New Delhi Date: 02.08.2017

मद 1 - इक्विटी पूँजी को बढ़ाना

बैंक की वर्तमान इक्विटी पूंजी रु. 425.59 करोड़ है तथा 31 मार्च 2017 तक बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.66% है। कारोबार विस्तार और बेसेल III मानदंडों और परिणामी पूंजीगत प्रभार के कार्यान्वयन को देखते हुए, पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और अधिक मजबूत करने के लिए पूँजी में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

- (i) विकास दर के अनुमान के आधार पर आपके निदेशकों ने इक्विटी पूंजी बढ़ाने का फैसला लिया है और बढ़ी हुई पूंजी का उपयोग बैंक के सामान्य कारोबार उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
- (ii) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2 बी) (सी) के अनुसार बैंक की प्रदत्त पूंजी बढाने के लिए बैंक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा।
- (iii) सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 41 (4) में उल्लेख है कि सूचीबद्ध इकाई पहले अनुपात में सभी शेयर (जब्त किए गए शेयरों सहित), सिक्योरिटीज, अधिकार, विशेषाधिकार और सूचीबद्ध इकाई के इक्विटी शेयरधारकों के लिए, प्रो-राटा के आधार की सदस्यता हेतु लाभ के लिए, जारी या प्रस्ताव प्रदान करेगा, जब तक कि सामान्य बैठक में शेयरधारक अन्यथा तय न करें। उक्त संकल्प यदि पारित किया जाता है, तो बोर्ड को मौजूदा शेयरधारकों को प्रो-राटा के आधार और संकल्प यदि पारित किया जाता है, तो बोर्ड को मौजूदा शेयरधारकों को प्रो-राटा के आधार से अतिरिक्त सिक्योरिटीज करेंगा.
- (iv) यह संकल्प बैंक को क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशन प्लेसमेंट (क्यूआईपी)/ राईट इश्यू/ईएसओपी और/या इसके समन्वय सहित अन्य फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) के माध्यम से इक्विटी शेयरों/ वरीयता शेयरों/प्रतिभूतियों को सृजित करने, ऑफर करने, जारी करने के लिए बैंक को सक्षम करता है । यह संकल्प समय-समय पर आरबीआई द्वारा यथा निर्धारित बैंक को इसकी पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को मजबूत करने में सक्षम बनाएगा।
- (v) इसके अतिरिक्त, यह संकल्प आईसीडीआर विनियम द्वारा जैसा परिभाषित है, योग्य संस्थागत खरीदारों के साथ क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशन प्लेसमेंट (क्यूआईपी) को कार्य करने के लिए निदेशक मंडल को सशक्त बनाता है। बोर्ड निदेशक शेयरधारकों से नए अनुमोदन के बिना बैंक के लिए निधि बढ़ाने के लिए आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अंतर्गत निर्दिष्ट अपने विवेक पर इस तंत्र को अपना सकता है।
- (vi) ऑफर के लिए विस्तृत नियम और शर्तों को सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों और अंडरराइटर्स और ऐसे अन्य प्राधिकरण या अधिकारियों से जैसा आवश्यक हो, मौजूदा बाजार की स्थितियों और अन्य नियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परामर्श करके निर्धारित किया जाएगा ।
- (vii) चूंकि प्रस्ताव के मूल्य निर्धारण को वृहद् स्तर के अतिरिक्त तय नहीं किया जा सकता है, इसलिए जारी किए जाने वाले शेयरों की कीमत तय करना संभव नहीं है। हालांकि, यह सेबी आईसीडीआर विनियम, बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और पीएनबी (शेयर और बैठके) विनियम, 2000 समय–समय पर यथा संशोधित या किसी अन्य दिशानिर्देशों/ विनियम / संविदाओं जैसा लागू या आवश्यक हो के प्रावधानों के अनुसार होगा।

3

EXPLANATORY STATEMENT

Item 1 – Raising of Equity Capital

The current Equity Capital of the Bank is Rs. 425.59 Crore and the Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2017 is 11.66%. In view of business expansion and the implementation of BASEL III norms and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.

- (i) Based on the growth estimates your Directors have decided to raise the equity capital and the enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.
- (ii) The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of Government of India, Ministry of Finance and Reserve Bank of India for increasing the paid up capital of the Bank.
- (iii) Regulation 41(4) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 provides that listed entity shall, issue or offer in the first instance all shares (including forfeited shares), securities, rights, privileges and benefits to subscribe pro-rata basis, to the equity shareholders of the listed entity, unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.
- (iv) The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares/preference shares/securities by way of Follow on Public offer (FPO) including Qualified Institutional Placement(s) (QIPs) /Rights Issue/ESOP and/or any other mode(s) or a combination(s) thereof. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.
- (v) The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake Qualified Institutional Placement (QIP) with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.
- (vi) The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.
- (vii) As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the PNB (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.

- (viii) उपर्युक्त कारणों के लिए, इन मुद्दों की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन और विवेकाधिकार प्रदान करने के लिए एक सक्षम करने वाला संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है।
- (ix) आबंटित इक्विटी शेयर, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी मामलों में सम-मात्रा रैंक के होंगे।

इस प्रयोजन के लिए बैंक को एक विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। अत: उपरोक्त प्रस्ताव के लिए आपसे सहमति का अनुरोध किया गया है।

बोर्ड निदेशकों ने नोटिस में उल्लिखित विशेष प्रस्तावों को पारित करने की सिफारिश की है।

निदेशकों के हित

बैंक के किसी भी निदेशक का बैंक में उनके संबंधित शेयरहोल्डिंग्स, यदि हो तो, एक सीमा तक छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प में कोई हित या संबंध नहीं हैं।

टिप्पणियाँः

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने और मत देने के पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर उपस्थित होने और मत देने हेतु प्रॉक्सी नियुक्त करने का भी पात्र होगा/होगी तथा ऐसी प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है लेकिन ऐसी प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा । ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बैंक का कर्मचारी या अधिकारी है, प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता । बैठक में प्रॉक्सी पत्र के गारंटीकर्ता को वोट देने का अधिकार नहीं होगा । प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त की जाने वाली लिखत को प्रभावी करने के लिए, उसे शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001 में, बैठक की तारीख के कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् गुरुवार 7 सितंबर, 2017 को कारोबारी समय की समाप्ति अर्थात् अपराह्र 5.00 बजे तक जमा कर दी जाए।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी ऐसा व्यक्ति, किसी निगमित निकाय के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में, तब तक बैंक की बैठक में उपस्थित होने या मत देने का पात्र नहीं होगा, जब तक उस बैठक , जिस में यह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने वाले संकल्प की सत्यप्रति प्रधान कार्यालय, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001 में स्थित पंजाब नैशनल बैंक के शेयर विभाग, वित्त प्रभाग में, बैठक की तारीख के कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् गुरुवार 7 सितंबर, 2017 को कारोबारी समय की समाप्ति अर्थात् अपराह्न 5.00 बजे तक जमा कर दी जाए । ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बैंक का कर्मचारी या अधिकारी है, प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

3. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास :

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों / प्राधि कृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास में उचित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें व वार्षिक आम बैठक स्थल पर इसे सुपुर्द करें।

 नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा लेकिन ऐसे प्रॉक्सी अनुदानकर्ता की ओर से भाग ले सकते हैं और वोट कर सकते हैं।

- (viii) For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.
- (ix) The equity shares allotted, shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank.

For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution(s) as mentioned in the notice.

INTEREST OF DIRECTORS

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their respective shareholdings, if any, in the Bank.

NOTES:

1. APPOINTMENT OF PROXY

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting. No person shall be appointed as a Proxy who is an officer or an employee of the Bank. The grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting. The proxy in order to be effective, must be received by the Bank at the Finance Division, Share Department, Head Office, 5, Sansad Marg, New Delhi-110001 not less than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. on Thursday, the 7th September, 2017.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting as duly authorized representative of a body corporate, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Finance Division, Share Department, 5, Sansad Marg, New Delhi 110001, not less than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. on Thursday, the 7th September, 2017. No person shall be appointed as an authorized representative, who is an officer or an employee of the Bank.

3. ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders/Proxy holders/Authorized Representatives are requested to affix their signatures at the space provided on the enclosed Attendance Slip-cum-Entry Pass and surrender the same at the EGM venue.

4. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting but such proxy can attend & vote on behalf of the grantor.

5. शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैठक में कोई उपहार / उपहार कृपन वितरित नहीं किया जाएगा।

6. वोटिंग अधिकार

- क. पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठके) विनियमन, 2000 के विनियम 68 के अनुसार ऐसा प्रत्येक शेयरधारक जिसे कट-ऑफ तिथि अर्थात् 05.09.2017 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, को मतदान होने पर अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट देने का अधिकारी होगा ।
- ख. कोई व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या केवल कट–ऑफ की तारीख तक डिपॉजिटरी द्वारा मेंटेन किए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज किया गया हो को, ईजीएम में दूरस्थ ई–वोटिंग/ वोटिंग सुविधा का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- ग. सदस्यों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि तक कंपनी की पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी के अपने शेयर के अनुपात में होगा।
- घ. बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (जैसा कि संशोधन किया गया) की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने पास धारित शेयरों के संबंध में बैंक क कुल शेयरधारकों के 10% से अधिक के अपने शेयरों के वोटिंग अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता/सकती है। विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम है, तो रजिस्टर में दर्ज पहला नामित व्यक्ति, मतदान के संबंध में, उसका एकमात्र धारक माना जाएगा।

7. ई वोटिंग के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के साथ कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) संशोधन नियम 2015 शेयरधारक बैठक में उपस्थित होने तथा वोट देने का पात्र है और वे अपने वोट का प्रयोग इलैक्ट्रानिक साधन के द्वारा दे सकते हैं।

मतदान प्रक्रिया

इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा मतदान

- i) सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) के विनियमन 2015 के विनियम 44, स्टाक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के अनुसरण में और कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली 2014, यथासंशोधित कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली 2015 के नियम 20 के प्रावधानों की अनुपालना में बैंक शेयरधारकों को आगामी एजीएम में विचारणीय सकल्पों पर इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्व ारा मतदान करने की सुविधा दे रहा है और यह कार्यनिष्पादन नैशनल सिक्यूरिटी डिपाजिटरी लि. (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से दिया जा रहा है। रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया के लिए शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने तथा आम बैठक में वोटिंग करने की कट-ऑफ तिथि 05.09.2017 है।
- ii) वह सदस्य जिसने रिमोट ई वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं किया है वह अपना वोट बैठक स्थल एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए(इंस्टा पोल) टैबलेट आधारित इलैक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक स्थल पर कर सकता है।

5. Shareholders may kindly note that no gifts / gift coupon will be distributed at the meeting.

6. VOTING RIGHTS

- a. As per Regulation 68 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Cut-off Date as determined by the Bank i.e. 05.09.2017 shall have one vote for each share held by him/her.
- b. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/ voting at the EGM.
- c. The voting rights of Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Bank as on the cut-off date.
- d. In terms of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended) no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. As per Regulation 10, if any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

7. EXERCISE OF VOTING RIGHTS THROUGH E-VOTING

In terms of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through electronic means.

VOTING PROCESS

VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

- I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Listing Regulations with Stock Exchanges and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Bank is pleased to provide its shareholders facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered in the Meeting by electronic means through e-voting platform provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and voting at the general meeting. The Cut-off Date for determining the eligibility of shareholders to exercise remote e-voting and voting at general meeting is 05.09.2017.
- II. That the facility for voting shall also be made available at the meeting & members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting.

- iii) शेयरधारक, मतदान का केवल एक ही तरीका चुन सकते हैं, अर्थात् ईजीएम में भाग लेते समय मौजूद होकर या दूरस्थ ई-वोटिंग से।
 यदि कोई शेयरधारक दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए विकल्प चुनता है, तो वह ईजीएम में मौजूद रहकर मतदान के लिए पात्र नहीं होगा।
- iv) वह सदस्य जिसने बैठक से पहले ही रिमोट ई वोटिंग द्वारा अपना वोट किया गया है बैठक में भाग ले सकता है परंतु वह दोबारा अपना वोट करने के लिए पात्र नहीं होगा।
- v) दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं
- (i) रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 09.09.2017 (प्रात: 9.00 बजे) शुरू होगी और 11.09.2017 (सायं 5.00 बजे) तक समाप्त हो जाएगी । इस अवधि में कट आफ तिथि के अनुसार बैंक के शेयरधारक चाहे वह भौतिक रूप में शेयरधारित करते हो या डिमेटेरियालाइज्ड रूप में लेखा परीक्षित खाते, रिमोट ई वोटिंग की सुविधा को प्राप्त करने और साथ ही साथ एजीएम में वोटिंग के पात्र होंगे। ई वोटिंग के बाद एनएसडीएल द्वारा ईवोटिंग माडयूल हटा दिया जाएगा । एक बार शेयरधारक द्वारा संकल्प पर वोट कर दिया जाता है, तो शेयरधारक को इसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
- (ii) शेयरधारकों को ई-वोटिंग करने के लिए वेबसाइट <u>www.evotingindia.com</u> पर लॉग ऑन करना चाहिए
- (iii) शेयरधारक/ सदस्य पर क्लिक करें
- (iv) अब अपना यूजर आईडी दर्ज करें
 - क. सीडीएसएल के लिए: 16 अंक लाभार्थी आईडी,
 - ख. एनएसडीएल के लिए: 8 डिजिट क्लाइंट आईडी के बाद 8 अक्षर की डीपी आईडी,
 - ग. बैठक में सहभागिता करने वाले सदस्यों को बैंक का पंजीकृत फोलियो नंबर दर्ज करना होगा।
- (v) अगला छवि सत्यापन के रूप में प्रदर्शित करेगा और लॉगइन पर क्लिक करें।
- (vi) यदि आप डीमैट फॉर्म में शेयर धारण करते हैं और पूर्व में आपके द्वारा <u>www.evotingindia.com</u> पर लॉग-इन किया गया था और इससे पहले किसी कंपनी के मतदान प्रक्रिया मे मतदान किया है, तो आपके मौजूदा पासवर्ड का उपयोग किया जाना है।
- (vii) यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

	डीमैट रूप और भौतिक रूप में शेयरधारण करने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया अपना 10 अंकों का एल्फा न्यूमेरिक पैन दर्ज करें (डीमैट शेयरधारक दोनों लिए लागू)
	 सदस्य जिन्होंने कम्पनी / डिपाजिटरी सहभागी के साथ अपना पैन न. अद्यतन नहीं किया है से अनुरोध है कि पैन फील्ड में अपने नाम के पहले दो अक्षरों और क्रम सं. 8 अंकों का उपयोग करें। यदि क्रम संख्या 8 अंकों से कम है तो कैपिटल लैटरस में नाम के पहले 2 अक्षरों के बाद लागू संख्या जीरो दर्ज करें जैसे यदि क्रम स.1 के साथ आपका नाम रमेश कुमार
लाभांश बैंक ब्यौरा या जन्म तिथि	है तो पैंन फील्ड में आरए 00000001 दर्ज करें। लाभांश बैंक ब्यौरा या जन्मतिथि (दिन/ माह/ वर्ष प्रारूप में) अपने डीमैट खाते या कथित खाते या फोलियो के लिए कंपनी रिकार्ड में दर्ज लाभांश बैंक ब्यौरा दर्ज करें।
	 यदि यह दोनों ब्यौरा कंपनी या डिपॉजिटरी के साथ दर्ज नहीं है, तो कृपया डिविडेंड बैंक डिटेल्स फील्ड में सदस्य आईडी /फोलियो संख्या दर्ज करें जैसा कि मद स. (iv) में वर्णित है।

- III. Shareholders can opt for only one mode of voting, i.e. either physically by attending EGM or remote e-voting. If any shareholder opts for remote e-voting, he will not be eligible to vote physically in EGM.
- IV. That the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

V. The instructions for remote e-voting are as under

- (i) The remote e-voting period begins on 09.09.2017 (9:00 am) and ends on 11.09.2017 (5:00 pm). During this period, shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the share holder shall not be allowed to change it subsequently.
- (ii) The shareholders should log on to the e-voting website <u>www.evotingindia.com</u>
- (iii) Click on Shareholders / Members
- (iv) Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
- (v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to <u>www.evotingindia.com</u> and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.
- vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)
	 Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field.
	 In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with se- quence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login.
OR Date of Birth (DOB)	 If both the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

(viii) इन ब्यौरों को उचित प्रकार से दर्ज करने के बाद, "SUBMIT" टैब पर क्लिक करें।

- (ix) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य सीधे कंपनी सलेक्शन स्क्रीन पर जाएंगें तथापि डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य पासवर्ड क्रिएशन विकल्प में जाएंगें जिसमें उनसे नए पासवर्ड फील्ड में अपना लॉगिन पासवर्ड अनिवार्य रूप से दर्ज करना अपेक्षित है । कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का उपयोग किसी अन्य कंपनी के संकल्पों के लिए वोटिंग हेतु डीमैट धारकों द्वारा किया जाना है, जिस पर वे वोटिंग के लिए पात्र है बशर्ते कंपनी सीडीएसएल प्लेटफार्म के माध्यम से ई-वोटिंगचुनें । यह दृढतापूर्वक सुझाव दिया जाता है कि किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने में सावधानी बरतें ।
- (x) भौतिक रूप मे शेयरधारण करने वाले सदस्यों के लिए, ब्यौरे का उपयोग इस नोटिस में दिए गए संकल्प पर ई-वोटिंग के लिए किया जा सकता है ।
- (xi) पंजाब नैशनल बैंक के लिए "EVSN" पर क्लिक करें जिसे वोट करने के लिए चुनना हैं।
- (xii) वोटिंग पेज पर, आपको ''RESOLUTION DESCRIPTION'' दिखेगा और इसके विपरीत वोटिंग के लिए ''YES/NO'' विकल्प दिखेगा । ऐच्छिक विकल्प ''YES/NO'' चुनें । आप संकल्प के समर्थन में है और विकल्प NO का तात्पर्य है कि आप संकल्प के विरूद्ध है ।
- (xiii) यदि आप संपूर्ण संकल्प ब्यौरा देखना चाहते हैं तो ''RESOLUTION FILE LINK'' पर क्लिक करें ।
- (xiv) संकल्प चयन के पश्चात् आपने उस पर वोट करने का निर्णय लिया, SUBMIT" पर क्लिक करें। पुष्टि बाक्स प्रदर्शित होगा । यदि आप अपना वोट सुनिश्चित करना चाहते हैं, OK पर क्लिक करें लेकिन वोट बदलने के लिए CANCEL पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें ।
- (xv) एक बार आपने संकल्प पर अपना वोट COMFIRM कर दिया तो आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- (xvi) आप वोटिंग पेज पर Click here to print विकल्प पर क्लिक करके स्वयं द्वारा की गयी वोटिंग का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
- (xvii) यदि डीमैट खाताधारक परिवर्तित पासवर्ड भूल गया हो तब यूजर आईडी और इमेज सत्यापन कोड दर्ज करें और FORGOT PASSWORD पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा तैयार किया गया ब्यौरा दर्ज करें ।
- (xviii) सीडीएसएल का प्रयोग करके शेयरधारक एंड्रोयड आधारित मोबाईल पर एमवोटिंग से भी अपना वोट दे सकते हैं । एम वोटिंग एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्पल और विंडोज फोन के उपयोगकर्ता क्रमश: एप स्टोर व विंडो फोन स्टोर से एप डाउनलोड कर सकते हैं। कृपया अपने मोबाईल से वोट करते समय मोबाईल एप पर प्रदर्शित निर्देशों की अनुपालना करें।

(xix) गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों एवं कस्टोडियन्स के लिए सूचना :

- गैर-वैयक्तिकक शेयरधारक (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) और कस्टोडियन से अपेक्षित है कि https://www.evotingindia.com पर लॉगिन करें और स्वयं को कॉरपोरेट के रूप में पंजीकृत करें ।
- उपक्रम का स्टाम्प और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन कापी helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल करना चाहिए।
- लॉगिन ब्यौरा प्राप्त होने के बाद कम्प्लाएंस यूजर द्वारा उपयोग की जाने वाली एडमिन लागिन और पासवर्ड सृजित करना चाहिए/ कम्प्लाएंस यूजर खाता (तों) जिसके लिए वे वोट करने के इच्छुक हैं को लिंक करने में सक्षम होगा ।
- खातों की सूची <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> को मेल की जानी चाहिए और खातों के अनुमोदन पर वे अपना वोट देने के लिए सक्षम होंगें ।
- उन्हें बोर्ड संकल्प और पावर आफ एटार्नी (पीओए) की स्कैन प्रति अपलोड करनी चाहिए जिसे उन्होंने कस्टोडियन के पक्ष में जारी किया है, यदि कोई है, इसे सत्यापित करने के लिए संवीक्षक हेतु सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए ।

- (viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (ix) Members holding shares in physical form will then reach directly the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (xi) Click on the EVSN of Punjab National Bank on which you choose to vote.
- (xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- (xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- (xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvi) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- (xvii) If a Demat account holder has forgotten the changed login password then enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xviii) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.

(xix) Note for Non-Individual Shareholders & Custodians:

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to <u>www.evotingindia.com</u> and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin log-in & password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

ई-वोटिंग से संबंधित किसी पूछताछ या मामले के लिए, आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और help section के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> पर मेल लिख सकते हैं।

नाम	-	श्री राकेश दलवी
पदनाम	-	उप प्रबन्धक
पता	-	16वीं मंजिल, फिरोज जिजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई – 400001
ई-मेल	_	helpdesk.evoting@cdslindia.com
दूरभाष	-	18002005533

- vi) यदि आप सीडीएसएल के साथ ई-वोटिंग के लिए पहले ही पंजीकृत हैं तब आप मतदान के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड/पिन का उपयोग कर सकते हैं ।
- vii) सुश्री आशु गुप्ता एंड कंपनी (ई-मेल आईडी <u>agc.scrutinizer@gmail.com</u>) में कार्यरत श्री आशु गुप्ता कंपनी सचिव (सदस्य संख्या F4123, CP No- 6646) को बैंक द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा करने के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है।
- viii) संवीक्षक, आम बैठक के दौरान हुई वोटिंग के तुरंत बाद डाले गए वोटों की गिनती करेगा तत्पश्चात् दो (2) साक्ष्यों की उपस्थिति में जो बैंक के नियोजन में न हों, वोट अनब्लॉक करेगा और बैठक के अध्यक्ष को या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को पक्ष या विपक्ष में डाले गये वोट की यदि कोई हो, लिखित रिपोर्ट बैठक के अध्यक्ष को एजीएम की समाप्ति के 48 घंटो के अन्दर प्रस्तुत करेगा या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत एक व्यक्ति प्रति हस्ताक्षर करेगा । अध्यक्ष या प्राधिकृत व्यक्ति वोटिंग के परिणामो की घोषणा करेगा ।
- ix) अध्यक्ष द्वारा परिणाम घोषित करने के तुरन्त पश्चात् समेकित संवीक्षक रिपोर्ट के साथ परिणामों की घोषणा, बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in और सीडीएसएल ई-वोटिंग की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा तथा स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचित किया जाएगा।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार कृते पंजाब नैशनल बैंक

समील मेहता.

(सुनील मेहता) प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 02.08.2017 In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u>. The contact details of official for e-voting are as follows:

Name	-	Mr. Rakesh Dalvi
Designation	-	Deputy Manager
Address	-	16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort,
		Mumbai – 400001.
e-mail ID	-	helpdesk.evoting@cdslindia.com
Phone no.	-	18002005533

- VI. If you are already registered with CDSL for e-voting earlier then you can use your existing login details for casting your vote.
- VII. Ms. Ashu Gupta, Practising Company Secretary (Membership No. F4123, CP No. 6646) of M/s Ashu Gupta & Co. (email ID agc.scrutinizer@gmail.com) has been appointed as the Scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
- VIII. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the EGM, will first count the votes cast at the meeting and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Bank. The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting not later than 48 hours of conclusion of the EGM and the Chairman or a person authorised by him in writing who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith.
- IX. The Results along with the Consolidated Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website <u>www.pnbindia.in</u> and on the website of CDSL e-Voting immediately after the result is declared by the Chairman and will be communicated to the Stock Exchanges also.

By order of the Board of Directors for **PUNJAB NATIONAL BANK**

fact

(Sunil Mehta) Managing Director & CEO

Place: NEW DELHI Date: 02-08-2017

पंजाब नैशनल बैंक

प्रधान कार्यालय : 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110 607

फार्म–''बी''

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाए)

पंजीकृत फोलियो सं. (मूर्त शेयरों के लिए)	
डीपीआईडी सं. ग्राहक आईडी सं. (अमूर्त शेयरों के लिए)	
शेयरों की सं.	

मैं / हम	राज्य	के जिला
का⁄को/के निवासी	पंजाब	नैशनल बैंक के शेयरधारक होने के नाते
एतद्द्वारा	राज्य के	के
निवासी श्री / श्रीमती	को उ	थवा उनके उपस्थित न हो सकने पर
राज्य के जिला	के निवासी श्री⁄श्री	ोमतीको
दिनांक 12 सितम्बर, 2017 समय प्रातः 10.00 बज	ो पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों	की असाधारण आम बैठक में जो पंजाब
नैशनल बैंक ऑडिटोरियम, केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज	, 8, अंडर हिल रोड, सिविल ला	इंस, दिल्ली–110054 में आयोजित होगी
तथा इसके अधिस्थगित होने पर मेरी / हमारी ओर से मे	रि/हमारे लिए मत देने के लिए प्रॉक	ती नियुक्त करता हूं/करती हूं/करते हैं।

रसीदी टिकट

वर्ष 2017 केमास की.....तारीख को हस्ताक्षरित

एकल/प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर.....

Punjab National Bank

Head Office: 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi 110607

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

	Regd. Folio No. (If not Dematerialised)		
	DPID No.		
	Client ID No		
	(If Dematerialised)		
	No. of Shares		
I/We,		resident/s of	
in the district of		in the state of	
being a shareholder.	/s of Punjab National Bank	k, hereby appoint Shri/Smt.	
resident of		in the district of	in the
state of	or f	failing him/her, Shri/Smt	
resident of			in the district
of	in the sta	te of	as my/our proxy
		Extraordinary General Meeting	
Bank to be held on	12.09.2017, at 10.00 a.m	n., at Punjab National Bank A	Auditorium, Central Staff
		hi – 110054 and at any adjour	
			Revenue

Stamp

Signed this _____day of _____2017.

Signature of sole/first holder

Signature of the Proxy _____

प्राक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

1. प्राक्सी दस्तावेज़ के वैध होने के लिए

- क) व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे या विधिवत् लिखित रुप में अधिकृत ऍटार्नी हस्ताक्षर करेगा।
- ख) संयुक्त धारकों के मामले में सदस्यों के रजिस्टर में प्रथम नाम के शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रुप से अधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगें।
- ग) निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा सामान्य मोहर, यदि हो, तो लगाकर इन्हें हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाएगा या अन्यथा लिखित रुप से विधिवत् अधिकृत ऍटार्नी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगें।
- घ) फार्म बी में होंगे और विधिवत् रूप से स्टाम्पित होंगे।
- 2. प्रॉक्सी दस्तावेज़ जिस पर शेयरधारक द्वारा अंगूठे का निशान लगाया गया है, तभी वैध माना जाएगा जब उसे किसी जज, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार बीमा द्वारा या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी द्वारा या पंजाब नैशनल बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया गया हो।
- 3. प्रॉक्सी जिसके साथ में
 - क. मुख्तारनामा या प्राधिकार पत्र (यदि हो तो) जिसके अन्तर्गत इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं या
 - ख. उक्त मुख्तारनामे या प्राधिकार पत्र की प्रति जिसे नोटरी या मजिस्ट्रेट द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, पंजाब नैशनल बैंक, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, प्रधान कार्यालय, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 के पास असाधारण आम बैठक की तिथि से 4 दिन पहले अर्थात कार्य समय की समाप्ति से पहले अर्थात अधिकतम 07 सितम्बर, 2017 को सायं 5 बजे तक जमा करवा दिया जाए।
- यदि संबंधित मुख्तारनामा पंजाब नैशनल बैंक या इसके शेयर अंतरण एजेंट के साथ पहले से ही पंजीकृत है, तो मुख्तारनामे की पंजीकरण संख्या तथा ऐसे पंजीकरण की तिथि का उल्लेख किया जाए ।
- 5. बैंक के पास जमा प्रॉक्सी दस्तावेज अंतिम व अपरिवर्तनीय होगा।
- 6. विकल्प के रूप में दो गारंटियों के पक्ष में स्वीकृत प्रॉक्सी दस्तावेज के मामले में एक से अधिक फार्म को निष्पादित नहीं किया जाएगा।
- 7. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी का दस्तावेज़ निष्पादित किया हो वह बैठक में उस दस्तावेज़ से सम्बद्ध वोट देने का पात्र नहीं होगा।
- इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे में प्रॉक्सी प्रदाता की ओर से उपस्थित हो सकेगा और वोट दे सकेगा।
- 9. पंजाब नैशनल बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को वैधानिक रूप से प्राधिकृत या प्रॉक्सीधारक नियुक्त नहीं किया जा सकता।

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- 1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 - a. in case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing,
 - b. in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Shareholders or by his/her attorney duly authorised in writing,
 - c. in the case of a body corporate, it is signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing.
 - d. shall be in the Form B and duly stamped.
- 2. An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Punjab National Bank.
- 3. The proxy together with:
 - a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
 - a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Share Department, Finance Division, Punjab National Bank, Head Office : 5, Sansad Marg, New Delhi 110 001 not later than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e. on or before closing hours i.e. 5.00 p.m. of 07.09.2017.
- 4. In case the relevant power of attorney is already registered with Punjab National Bank or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.
- 5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- 6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- 7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- 8. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting but such proxy can attend & vote on behalf of the grantor.
- 9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab National Bank.

पंजाब नैशनल बैंक

प्रधान कार्यालय : 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110 607

उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास

असाधारण आम बैठक, मंगलवार, 12 सितम्बर, 2017 समय प्रातः 10.00 बजे

पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम, केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज, 8, अंडरहिल रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली–110054

उपस्थिति पर्ची

(उपस्थिति पंजीकरण के समय लौटा दी जाए)

नाम स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि)	पंजीकृत फोलियो / डीपीआईडी / ग्राहक आईडी सं.	शेयरों की संख्या
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		

पंजाब नैशनल बैंक

प्रधान कार्यालय : 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110 607

असाधारण आम बैठक, मंगलवार, 12 सितम्बर, 2017 समय प्रातः 10.00 बजे

प्रवेश पास (बैठक के दौरान अपने पास रखना है)

नाम स्पष्ट अक्षरों में	पंजीकृत फोलियो / डीपीआईडी / ग्राहक	शेयरों की संख्या
(सदस्य/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि)	आईडी सं.	
	शेयरधा	रक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

बैठक हॉल में प्रवेश के लिए शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इस उपस्थिति पर्ची—सह–प्रवेश पत्र को बैठक कक्ष में उपस्थिति के समय विधिवत् हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश पास वाला भाग शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को लौटा दिया जाएगा, जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना होगा। मतपत्र प्राप्त करने के लिए मतपत्र पास वाला हिस्सा आपको लौटाना होगा। किसी भी स्थिति में डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची – सह – प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

PUNJAB NATIONAL BANK HEAD OFFICE : 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi 110607

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS EXTRAORDINARY GENERAL MEETING, TUESDAY, THE 12TH SEPTEMBER, 2017 AT 10.00 A.M. AT PNB AUDITORIUM, CENTRAL STAFF COLLEGE, 8, UNDERHILL ROAD, CIVIL LINES, DELHI-54

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of registration of attendance)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	REGD.FOLIO/DPID&CLIENT ID No.	Number of Shares
Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representativ		

PUNJAB NATIONAL BANK HEAD OFFICE : 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi 110607

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING, TUESDAY, THE 12TH SEPTEMBER, 2017 AT 10.00 A.M.

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	REGD.FOLIO/DPID&CLIENT ID No.	Number of Shares
Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative		

Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to produce Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/ Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. Under no circumstances, any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass will be issued.